

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति **रात लाल रेखा लाल छोड़े (सीआर-ट्रिस्टाना) जो ० आ०**

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र **उत्तराखण्ड**

(ii) जिला **काशीशाही**

(iii) जिला वन प्रभाग **काशीशाही वन प्रभाग कालांगड़ी**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र **4.104 हेक्टर**

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः **नियंत्रित रेखा द्वितीय वन व्यौद्धी**

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौद्धा **क्लाउड फ्लै**

(i) वन का प्रकार **झोपन फॉरेस्ट**

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व **• 2**

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना **स्टैलन फ्लै**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा **कोई नहीं**

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी **भूक्षण की समग्रता**

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : **अनुमति**

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा **विक्री नहीं**

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौद्धा **तेजुला, बन्दर, चूहा**

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौद्धे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) **नहीं**

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौद्धे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) **नहीं**

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौद्धे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) **नहीं**

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसी के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौद्धे **नहीं**

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौद्धा दें) **नहीं**

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियों दें : **विस्तृत देश लूपक लैप्टॉप अनुकूल निकाय जारी हैं विवरित जारी हैं**

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **विस्तृत देश लूपक लैप्टॉप अनुकूल निकाय जारी हैं**

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसको पूर्वांकन के लिए उमर्दाम किया जा सकता है। हाँ

24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :

(i) वया अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक रिहातों के अतिकमण में वित्ती कार्य को किया गया है  
हाँ/ नहीं

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण से अतिरिक्त वन भूमि अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, यह और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी का लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के लिए है की गई कार्यताही हाँ

(iii) वया अधिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है हाँ/ नहीं

25. क्षतिपूरक वनरोपण रक्षीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण घटाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रस्तावि। अकर्तिक वन ड्रॉफ्ट (आवश्यक)

(ii) अवस्थिति, संवेद्धण या कम्पार्टमेंट या खसरा सख्ता क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गंगे वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। सेल्क्स है

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गंगे वनरोपण या अवनत वन दर्शात करने वाले 1:50,000 भाष्य के मूल में स्थल परत भारत का संवेद्धण और सार्वीष्य वन सीमाएं सलग्न हैं। सेल्क्स है

(iv) संवित की जाने याली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण रक्षीम के ब्यौरे सलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण रक्षीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यव : सेल्क्स है

(vi) वया क्षतिपूरक वनरोपण के लिए औप प्रदापन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता तं द्वारे में संघर्ष हुए संरक्षक से प्रभाण-पत्र सलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

26. वनस्पति और जीव जगत् पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाण में लान बदल उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हाँ/ नहीं)

27. स्त्रीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनियोग सिफारिशों

4.104 है वन अभि क्षेत्रान्वयन प्रकल्प की  
स्त्रीकृति सेल्क्स की जाती है

स्थान: सेल्क्स

तारीख:

हस्ताक्षर नाम: शासकीय मुद्रा

(कुक्कुर निवाल लिए)  
कुक्कुर निवाल वनाविकाश,  
मुमोद्दा वन प्रशासन, अल्मोद्दा